बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 17 फाल्गुन, 1939 (श.) / 08 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	योजना एवं विकास विभाग	-	-	01
2.	समाज कल्याण विभाग	-	-	02
3.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	01
4.	पर्यावरण एवं वन विभाग	-	-	02
5.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	01
6.	वित्त विभाग	-	-	01
			कुल योग –	08

कितने सुरक्षाकर्मी प्रतिनियुक्त

अ-20. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाकर्मी (पुलिस) प्रतिनियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन स्तरों के पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति से पुलिस इकाइयों की संख्या बल काफी कम हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी संख्या में आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. स्तर के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाकर्मी (पुलिस) प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक पदाधिकारी के साथ कितने कितने पुलिस तैनात हैं?

बैंक से ऋण

अ-21. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले किन्हीं भी कर्मियों को वेतन के विरुद्ध बैंकों से ऋण लिये जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो फिर नियोजित शिक्षकों को बैंक से ऋण लिये जाने में आ रही परेशानियों को सरकार किस प्रकार दूर करना चाहती है?

कड़े प्रावधान

58. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सदस्यों द्वारा अनुशंसित कई योजनाओं को आधा-अधूरा ही कार्य कर छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसी भी अनुशंसित कार्य को एक समय सीमा में निष्पादित करने हेतु कड़े प्रावधान करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

अ - दिनांक 05 मार्च, 2018 से स्थगित।

राशि का गबन

59. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 2 लाख 90 हजार सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनधारियों की संख्या है, जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार पेंशनधारियों का खाता नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-2018 तक 1 लाख 10 हजार पेंशनधारियों का खाता नहीं मिलने के बावजूद करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है, विभागीय निदेशक पूर्वी चम्पारण द्वारा जांच का आदेश दिया गया है परंतु आदेश के बावजूद पूर्वी चम्पारण के 27 प्रखण्डों को 405 पंचायतों में उक्त राशि का गबन कर लीपा-पोती करने की कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिला के 27 प्रखण्डों की 405 पंचायतों, 2 नगर परिषद्, 6 नगर पंचायतों के सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों के उक्त वित्तीय वर्ष में भुगतान दिलाकर करोड़ों रुपये की राशि का गबन करने वाले कर्मचारियों, पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहता है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तृतीय ए.सी.पी. का लाभ

60. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-696, दिनांक 26.08.2017 के द्वारा श्री अजय कुमार सिंह आजाद, सेवानिवृत्त नलकूप चालक, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर एवं कई अन्य कार्यरत नलकूप कर्मी के तृतीय ए.सी.पी. के लाभ हेतु सेवा-पुस्ति अधीक्षण अभियंता अंचल, मंगेर को भेजी गई;

(ख) क्या यह सही है कि पांच माह बीत जाने के बावजूद भी अधीक्षण अभियंता अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर द्वारा इन कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को तृतीय ए.सी.पी. लाभ से अबतक वंचित रखा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देने हेतु इन कर्मियों द्वारा दिनांक 12.12.2017 एवं दिनांक 10.01.18 द्वारा अधी.अभि. अंचल-मुंगेर एवं मुख्य अभि., भागलपुर को स्मारित किया गया, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित इन कर्मियों को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ अधी. अभि. अंचल- मुंगेर एवं मुख्य अभि., भागलपुर द्वारा नहीं दिये जाने का क्या औचित्य है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए अविलम्ब इन कर्मियों को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देगी, यदि हां तो कबतक?

सी.एन.जी. का इस्तेमाल

61. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना में वायु प्रदूषण को कम करने के ख्याल से सी.एन.जी. की पांच यूनिट लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि वाहनों की बेतहाशा वृद्धि होने से राजधानी पटना में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में सरकार यह बतलाएगी कि कबतक पटना में सी.एन.जी. की सभी यूनिट स्थापित कर दी जाएगी और कब से गाड़ियों में सी.एन.जी. का इस्तेमाल हो सकेगा?

थीम पार्क

62. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के चिड़ियाघर को अन्तर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने के लिए थीम पार्क की योजना बनाई गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत चिड़ियाघर में विभिन्न थीम पर आधारित 11 गार्डेन बनाया जाना था;

(ग) क्या यह सही है कि थीम पार्क बनने से और अधिक दर्शक चिड़ियाघर में आएंगे;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दर्शकों को आकर्षित करने के लिए चिड़ियाघर में विभिन्न थीम पर आधारित 11 गार्डेन बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषी पर कार्रवाई

63. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्रखंड, ततारपुर पंचायत के जनवरी 2016, फरवरी 2016 एवं मार्च 2016 का वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वृद्धा पेंशन में 80 वर्ष से ऊपर वालों को 500 रु. का भुगतान देना था, जिसे जिला को समुचित सूची नहीं दिए जाने के कारण 80 वर्ष के ऊपर वाले पेंशन भोगी को बैंक खाते में 400 रु. का भुगतान किया गया और पेंशनधारियों का नुकसान जानबूझकर कर दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भुगतान नहीं करने या बाकी भुगतान की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 08 मार्च, 2018